न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—319 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 319)

1. श्रीराम पुत्र श्री रामकरण (रामकरण पुत्र जवारा) (जवारा वल्द खूमा) जाति जाट पडौदा निवासी ग्राम सराधना तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भागचंद पुत्र बीरम
2. शीला पुत्री श्री बीरम मृतक जरिए वारिसानः—
   2 / 1 बबलू पुत्री शीला
   2 / 2 रवि पुत्र शीला
   2 / 3 पूजा पुत्री शीला
   2 / 4 पायल पुत्री शीला
3. गोपाल पुत्र सायर
4. नारायणी पत्नि सायर
5. बलवीर पुत्र सायर
6. मंजू पुत्री सायर
7. मदन पुत्र सायर
8. संजू पुत्री सायर
9. सुरेन्द्र पुत्र सायर
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा (सराधना) तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
10. फेफा पुत्री बीरम जाति रावत, निवासी ग्राम चेनपुरा पोस्ट भवानीखेडा जिला अजमेर।
11. तारा पुत्री सायर जाति रावत, निवासी ग्राम चेनपुरा पोस्ट भवानीखेडा जिला अजमेर।
12. माया पंवार पत्नि मनोज जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
14. उप—पंजीयक, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2025 राजस्व वाद संख्या 37 / 2024.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान व गुमान कुमावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 9, 12
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 / 1 से 2 / 4, 10, 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 37 / 2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 03.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.08.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात दिनांक 09.04.2025 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट के वाद को खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4, 10, 11 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपने हक एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. दिनांक 14.8.2024 को प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.5.2025 को सुनवाई कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया इस प्रकार से विधितः प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब एक बार प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर निर्णय पारित करने के पश्चात पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. पर किसी प्रकर से सुनवाई किए जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवांछित लाभ प्रदान करते हुए उसके द्वारा दिनांक 9.4.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को स्वीकार कर वादी/अपीलांट के राजस्व वाद को दिनांक 19.5.2025 को खारिज करने का अविधिक आदेश पारित कर दिया अतः पारित आदेश काबिल निरस्त योग्य है। वादी/अपीलांट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपने हक एवं अधिकारों की उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दुबारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया था उसके पैरा संख्या 2 में जो क्षेत्राधिकार सम्बन्धी उज्र उठाये गए थे उक्त उज्र को प्रतिवादी /रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने जवाब दावे के पृष्ठ संख्या 5 तथा पैरा संख्या 1 के अन्त में तथा जवाब दावे के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट रूप से उठाया जा चुका था इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं जवाब दावे के आधार पर उक्त बिन्दु पर तनकीयात कायम कर उक्त बिन्दु बाबत् वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य, सबूत

तथा बयान लिए जाने के पश्चात निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवांछित लाभप्रदान करते हुए उक्त अविधिक आदेश दिनांक 19.5.2025 पारित कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपने वाद पत्र में इस बात का स्पष्ट अंकन किया गया था कि वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 1227 रकबा 6–15–10 बीघा वादी/अपीलांट के पूर्वज के नाम चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज थी तथा उक्त आराजीयात दौराने बन्दोबस्त वर्किंग जमाबन्दी में सहवन से त्रुटिवश बीरम के नाम दर्ज कर दी जो कि अनुचित है जिसकी दुरुस्ती की जाकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी/अपीलांट के पक्ष में खातेदारी काश्तकारी की उदघोषणा हेतु उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया था इस प्रकार से उक्त राजस्व वाद का मूल मर्म बन्दोबस्त विभाग की त्रुटि था जिसको दुरूस्त किया जाना चाहिए था किन्तु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल बिन्दु से हटकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अविधिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को अविधिक रूप से स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि अविधिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विधि अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात कृषि आराजीयात के रूप में दर्ज थी जिस बाबत् उदघोषणा की डिक्री किए जाने का हक व अधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है तथा वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत समस्त राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को अविधिक रूप से दिनांक 19.5.2025 द्वारा स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी के द्वारा उक्त वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत्त तथाकथित वसीयत के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सुनवाई हेतु विचाराधीन है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार तथाकथित वसीयत के आधार पर वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है, बल्कि विधिक प्रावधानों के अनुसार वसीयत की सत्यता एवं वसीयत के आधार पर अधिकारों की घोषणा के सन्दर्भ में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मात्र दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही है, एसी स्थिति में तथाकथित वसीयत के आधार पर वाद पत्र न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है प्रथम दृष्टया ही पोषणीय ही नहीं है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024(1)आरआरटी 25, 2019 आरबीजे 142, आरआरटी 2022(2) प्रस्तुत किए हैं।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 14.08.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.05.2025 को खारिज

किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 05.05.2025 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत अन्य आधारों के साथ प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

विवादित आराजीयात ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का केसरपुरा भू0अ0नि0 केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 1614 रकबा 06–0910 हाल खसरा नम्बर 1659 रकबा 1.0500 है0 है। वादी/अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात को पुश्तैनी आराजीयात बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 1659 रकबा 1.0500 है0 में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे एवं इंद्राज दुरूस्ती की आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया।

चौसाला खसरा नम्बर 1227 कि जिसका रकबा 06–15–10 ग्राम केसरपुरा तहसील पीसांगन के खातेदार बीरमा व रामा जाति रावत अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2023 से 2026 की खतौनी संख्या 200 में खातेदार दर्ज है तथा चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 2022 की खतौनी संख्या 149 के अनुसार भी खातेदार बीरमा वल्द रामा जो कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के पूर्वज है, खातेदार दर्ज है। चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 2022 एवं संवत 2023 से 2026 कि जिसमें चन्द्रा, काना, किशना पिसरान सुक्खा, नानू वल्द सुरजमल, देवा वल्द हुकमा, ज्वारा वल्द खुमा समस्त जाति जाट जो कि राहिनदार थे यानि खातेदार बीरमा वल्द रामा के द्वारा चौसाला जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार रहन रखी थी, रहन का इंद्राज है।

चौसाला खसरा नम्बर 1227 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1614 के वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 207 के अनुसार भी खातेदार बीरमा वल्द रामा जाति रावत दर्ज है जिनके स्वर्गवास पश्चात विरासत नामांतरकरण संख्या 166 दिनांक 05.07.2002 के अनुसार बीरमा वल्द रामा के स्थान पर सायर, उगमा देवी, लक्ष्मण, श्रवण भागचंद पुत्रगण बीरमा मुसम्मात धापू पत्नी स्व0 श्री बीरमा, भंवरी, गांधी, शीला, फेफा पुत्रियां बीरमा समस्त जाति रावत खातेदार दर्ज हैं।

बीरमा पुत्र रामा के वारिसानों द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1659 रकबा 1.05 है0 में से उनके 7/11 हिस्से की भूमि जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 18.05.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 12 माया पंवार पत्नि श्री मनोजसिंह जाति रावत को बेचान की गई तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 12 अपने 7/11 हिस्से की खातेदार/काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी/अपीलांट द्वारा अपील में यह कथन भी किया गया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण में दो बार प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया गया तो प्रतिवादी/रेस्पोडेंट दुबारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का अवलोकन किया गया। अवलोकन किए जाने के पश्चात हमने यह पाया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का दिनांक 14.08.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 शीला पुत्री बीरम जिसका स्वर्गवास दिनांक 30.05.2023 को ही हो चुका था। अतः मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न नहीं होने से वाद पत्र दोषपूर्ण है, इस बाबत कथन किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.05.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए जो उचित हैं।

प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का दिनांक 05.05.2025 को प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा यह आधार लिए गए कि तथाकथित वसीयत के आधार पर वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। अतः वाद प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए, जो कि उचित है। चूंकि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा द्वितीय प्रार्थना पत्र में उठाए गए उज्रों के अनुसार उक्त वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा उठाए गए उज्र अलग–अलग है तथा यह प्रतिवादी/रेस्पोडेंट पर निर्भर करता है कि यदि उसे किसी भी वाद में ऐसा प्रतीत हो कि वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है तो वह अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया गया था अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद पत्र खारिज किया गया। वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत जो कि विवादित भूमि ग्राम केसरपुरा तहसील पीसांगन से संबंधित ही नहीं है, चूंकि वसीयत में कहीं पर भी ग्राम केसरपुरा का नाम अंकित नहीं है। चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 2022 एवं संवत 2023 से 2026 के अनुसार विवादित भूमि रहन रखी थी, रहन का इंद्राज है। जमाबंदी संवत 2025–2028 की जमाबंदी में वादी के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी जो किस आधार पर दर्ज हुई यह वादी/अपीलांट द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है।

हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2019 आरबीजे 142

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11– *वसीयत की वैधता का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती।*

प्रस्तुत न्यायिक नजीर वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर